पर्चा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलक्टर टिब्बी, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :—श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या — 176/2024

उनवान :

1. जडावली पत्नी हरीसिंह पुत्री तुलछाराम जाति मेघवाल निवासी भगवान तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

2. तहसीलदार राजस्व टिब्बी ।

प्रतिवादी

दावा बाबत घोषणा अन्तर्गत धारा

88 राजस्थान काश्तकारी अधि0 1955 व स0प0 धारा 136 एल आर एक्ट

उपस्थिति:—1 अधिवक्ता श्री सुभाष गर्ग :—वादीया

2 राजपैरोकार

डिक्री

दिनांक 19/11/24

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादी श्री सुभाष गर्ग व राजपैरोकार अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर ...द वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी ...ताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि चकनं0 5 आर. डबल्यू डी के खाता सं0 59/59. चकनं० 7 आर डबल्यू डी के खातासं0 12/35 में, चकनं0 9 आर डबल्यू डी के खातासं० 19/56 में, चकनं0 10 आर डबल्यू डी के खाता सं0 110/101 ...ने दर्ज अपना नाम जड़ावदेवी पुत्री तुलछाराम के स्थान पर सही नाम जड़ावली पत्नी हरी ...सिंह पुत्री तुलछाराम निवासी भगवान तहसील नोहर दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। अगर प्रार्थी पर कोई आपराधिक प्रकरण विचाराधीन है या कोई सरकारी देय बकाया हो तो पूर्व नाम ही मान्य होगा। तहसीलदार टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नही हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 19/11/24 को ... न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2024.12.19 13:11:13 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
टिब्बी

Scanned with CamScanner